(109)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2682-PBR/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–07–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 31/2013–14/अपील.

भरतलाल पुत्र स्व0रामस्वरूप परिहार
निवासी ग्राम विरगंवा तहसील चीनौर
जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–दीमान पुत्र लम्पू आदिवासी
निवासी ग्राम विरगंवा तहसील चीनौर
जिला ग्वालियर
2–मध्प्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0धाकड, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री आर0पी0पालीवाल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–07–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम विरगंवा में उसके पिता कोटवार थे जिनका स्वर्गवास हो गया है और वह उसका पुत्र है इसलिये उसे कोटवार के पद पर नियुक्त किया जाये । तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर आवेदक को अस्थायी कोटवार के पद पर नियुक्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–7–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये तहसीलदार को स्थायी कोटवार की नियुक्ति हेतु निर्देश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह मृतक कोटवर का पुत्र होकर निकट संबंधी है और कोटवार पद की पूर्ण योग्यता रखता है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उसके अस्थायी कोटवार की नियुक्ति को वैध ठहराया है अतः अपर आयुक्त द्वारा पुनः कोटवार पद की नियुक्ति के आदेश देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 को ऑखो से कम दिखाई देता है और उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था।

4– अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अस्थायी कोटवार पद पर नियुक्त है और अपर आयुक्त द्वारा स्थायी कोटवार की नियुक्ति के आदेश देने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा स्थायी कोटवार की नियुक्ति नहीं होने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा स्थायी कोटवार की नियुक्ति की जाती है और उनके द्वारा कोटवार पद की आवेदनकर्ता की पात्रता पर विचार किया जायेगा ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार को स्थायी कोटवार की नियुक्ति करने के संबंध में आदेश देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी न्यायसंगत कार्यवाही की गई है तथा तहसीलदार अतिशीघ्र पात्र अभ्यर्थी की स्थायी कोटवार पद पर नियमानुसार नियुक्ति करें। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6– उपरोक्त अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–07–2015 स्थिर रखा जाता है । तहसीलदार अतिशीघ्र पात्र अभ्यर्थी की स्थायी कोटवार के पद पर नियमानुसार नियुक्ति करें । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.